

चपत्र संख्या : : ७ब/४७११ यो०ज०सं०-०४/१४

278

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर

संबंधित अधीक्षण अभियंता / कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमंडल, साहेबगंज—सह—निकासी
एवं व्ययन पदाधिकरी।

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक :- २४-३-१५

विषय :-

मॉग संख्या—४९—जल संसाधन विभाग, योजना मुख्य शीर्ष—४७११—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष—०१—बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष—७९६—जन—जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष—५७—बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण, विस्तृत शीर्ष—०५—निर्माण, ४४ लघु निर्माण कार्य, विपत्र कोड—४९P471101796570544, के अंतर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष—२०१४—१५ में निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१४—१५ में बजट मुख्य शीर्ष ४७११ — बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट—१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

| क्र. | मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष/उप शीर्ष | विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड | आवंटित राशि (लाख रु० में) |
|------|--|---|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ४९—जल संसाधन विभाग ४७११—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय/ ०१—बाढ़ नियंत्रण, | ७९६—जन—जातीय क्षेत्रीय उप योजना/५७—बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण | ०५—निर्माण, ४४ लघु निर्माण कार्य, ४९P471101796570544 | १०००.०० |

अतिरिक्त आवंटित राशि —₹ दस करोड़ मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१४—१५ के संशोधित बजट उपबंध तथा वित्त विभाग के पत्रांक—२१३/बजट, दिनांक—०९.०३.२०१५ द्वारा तृतीय अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राप्त राशि यथा कुल राशि ₹. १२००.०० लाख (बारह करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति (परिशिष्ट —१ के स्तम्भ ६ में वर्णित) एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(श्रेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुकित राधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

7. राशि की निकासी कर उसे चालू / बचत खाता में नहीं रखा जाय।
8. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
9. इस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 28 मार्च 2015 तक निश्चित रूप से कर देंगे। राशि का प्रत्यार्पण कार्यवार, उप शीर्षवार किया जाय तथा जिस Access No से आवंटन प्राप्त हुआ था उसको भी अंकित करना आवश्यक है।

नोट : आवंटित राशि को **Online Allotment System** द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

278

रॉची, दिनांक :- **24-3-15**

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. — हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी डोरन्डा/रॉची/देवघर/साहेबगंज/राजमहल सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

278

रॉची, दिनांक :- **24-3-15**

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अंतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

विभागीय पत्रांक 278

दिनांक 24.3.15

का अनुलग्नक

परिशिष्ट - 1

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष-01-बाढ़ नियंत्रण

लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्रीय उप योजना,

विस्तृत शीर्ष-57-बाढ़ नियंत्रण / कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण,

विपत्र कोड-49P471101796570544

वित्तीय वर्ष 2014-15 में संशोधित बजट उपबंध रु. 1200.00 लाख (बारह करोड़) मात्र।

राशि लाख ₹ में

| क्र० | प्रमंडल का नाम | मुख्य अभियांता | योजना का नाम | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग | मार्च 2014 तक का व्यय | वित्तीय वर्ष 2014-15 में आवंटन | | | | (On-line Allotment Access No.) | अन्युक्ति |
|------|--|----------------|---|----------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|--------|--------------------------------|-----------|
| | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | गंगा पम्प नहर प्रमंडल-साहेबगंज (SBJIRR016) | देवघर | साहेबगंज जिलान्तर्गत गंगा नदी के दो टैट पर रफा टोला से श्रीधर-10 न० (राजमहल) तक कटाव निरोधक कार्य | 5263.000 | 84 / 13-14 प्र०स्थी० दिनांक-26.02.2014 | 0.00 | 197.00 | 1000.00 | 1197.00 | 117977 | | |
| | | | योग | 197.00 | 1000.00 | 1197.00 | | | | | | |

आतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ दस करोड़ मात्र।

(खेता कुमारी)

 (मुक्ति साधन चौरसिया)

सहायक अभियांता

उप सचिव (आमें)

(सुखदेव सिंह)

 (प्रधान सचिव)

प्रधान सचिव